कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन/फैक्स : 01376–232077,
ई:मेल :
dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 864/12-1 नई टिहरी, दिनांक– 25/9/ 2020

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।

विषयः– **जनपद–टिहरी गढवाल में कर्णगांव से राजराजेश्वरी मन्दिर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.2375 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/14272/2015)**

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून का पत्र सं0–8बी0/यू0सी0पी0/06/144/2016/एफ0सी0/619, दिनांकः–14–07–2020।

महोदय,

प्रश्नगत परियोजना के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा आपत्ति लगाई गई है जिसका निराकरण निम्नप्रकार प्रेषित हैः–

S. No.	Shortcomings	Clarification/reply
1	As the case has already been closed and in reply to this office letter dated 24-07-2019 State Govt. submitted that during this period no. of trees has been increased from 219 to 448 but the reason of delay is still not submitted. State Government is again requested to submit the reason for delay in the reply.	भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्ति दिनांकः–24–07–2019 के क्रम में प्रस्ताव पर अनुपालन आख्या प्रेषित करने में हुऐ बिलम्ब के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या प्रयोक्ता अभिकरण ने अपने पत्रांकः–1128/10एम0जी0, दिनांकः–22–08–2019 से इस कार्यालय को प्रेषित किया जो कि इस कार्यालय के पत्रांकः–568/12–1(2), दिनांकः–11–09–2019 से अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया है। शुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र की चार छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।
2	KML file of proposed road not found uploaded instead KML file of CA area found uploaded. State Government may upload KML file of road marking the location of temple and habitations if any to be connecting from the proposed road.	प्रस्तावक विभाग ने हस्तान्तरित वन भूमि की संशोधित के0एम0एल0 फाईल अपलोड कर दी है।
3	Out of 3.2375 ha. forest area 3.1766 ha. area proposed in reserve forest area with felling of 448 trees. As per justification of the proposal it appears that the proposed road will connect the temple only from both side of the road and no habitation is connecting from the road. State Govt. is requested to kindly submit the detailed justification of the requirement of road.	प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त के सम्बन्ध में विस्तृत औचित्य पूर्ण आख्या (Note For Justification) प्रस्तुत किया है जो पत्र के साथ चार प्रति में संलग्न कर प्रेषित।
4	The alternate alignment shown at para D (ii) (a). connecting the temple only from one side seems more appropriate. State Government may submit justification is this regard.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वैकल्पिक समरेखण में ग्राम सभा कर्णगांव का मलकोट गॉव संयोजित नही हो रहा है जिस कारण उक्त समरेखण में समस्त क्षेत्रवासियों द्वारा असहमति व्यक्त की गयी है।

5	As per muck disposal plan muck dumping area proposed in nap land but the details not filled at para b 2.4 in part I, which may be done now.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि आरक्षित वन भूमि 3.2375 है0 एवं नाप भूमि 0.3375 है0 को कॉलम b-2.4 में ऑन लाइन प्रविष्टि की गई है। वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव वर्ष 2015 में ऑन लाइन किया गया था उस समय मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल को ऑन लाइन में अंकित नही किया गया, जो कि वर्तमान में तकनीकि कारणों से अंकित नही हो पा रहा है।
6	As per DSS analysis, 5 ha. area found in MDF proposed in civil soyam area. State Government may submit plantation scheme as per guideline dated 08-11-2017.	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के फाईल सं0–11–423 / 11–एफ0सी0, दिनांकः–08–11–2017 से जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन में कुल–6.475 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र में से 5.00 है0 (MDF) क्षेत्र की क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना 1000 पौध प्रति है0 की दर पर तैयार कर चार प्रतियों में संलग्न प्रेषित है। शेष 1.475 है0 क्षेत्र की क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना अलग से तैयार कर चार प्रतियों में संलग्न की जा रही है।
7	Name of CA area mentioned in CA scheme and in CA site suitability is Mandra but name mentioned in other documents is Kepars. State Government may clarify this discrepancy.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित / प्रस्तावित स्थल केपार्स सिविल है जिससे सम्बन्धित अभिलेख / प्रमाण–पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Part-i में अपलोड किये गये हैं।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी

कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन / फैक्स : 01376-232077,
ई:मेल :
dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 568 /12-1(2) नई टिहरी, दिनांक- 11/9/ 2019

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।

विषयः— **जनपद—टिहरी गढवाल में कर्णगांव से राजराजेश्वरी मन्दिर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.2375 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (online no.-FP/UK/Road/14272/2015)**

सन्दर्भः— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून का पत्र संख्याः—8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 144 / 2016 / एफ0सी0 / 869, दिनांकः—24—07—2019।

महोदय,

प्रश्नगत परियोजना निर्माण हेतु गठित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर उठाई गई आपत्ति का निराकरण निम्न प्रकार प्रेषित हैः—

आपत्तिः— इस कार्यालय के (EDS) पत्र दिनांकः—20—07—2016 द्वारा प्रस्ताव पर वांछित सूचनायें चाही गई थी जिसकी अनुपालन आख्या राज्य सरकार द्वारा 03 वर्ष बीत जाने के पश्चात अपने पत्रांकः—29—06—2019 द्वारा प्रस्तुत की है। चूँकि मंत्रालय द्वारा निर्गत दिशा—निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम की मार्गदर्शी 4.14 के तहत बन्द कर दिया गया है। अतः राज्य सरकार अनुपालन आख्या प्रेषित करने में विलम्ब होने का विस्तृत कारण प्रस्तुत करें एवं साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि कार्यक्षेत्र, उद्देश्य एवं अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के सन्दर्भ में प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नही किया गया है। इसके अतरिक्त re-opening of case के तहत आवश्यक प्रमाण—पत्र भी प्रस्तुत करें।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 10 बिन्दुओं के EDS के उत्तर में 06 बिन्दुओं का जवाब दिया है जिन 06 में से भी अधिकांश बिन्दु इस प्रस्ताव से सम्बन्धित नही है। अतः राज्य सरकार EDS दिनांकः—20—07—2016 पूर्ण अनुपालन आख्या अपने स्तर पर जॉच लेने के पश्चात ही इसे कार्यालय में प्रस्तुत करें।

निराकरण / आख्याः—उपरोक्त आपत्ति के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव पर लगी आपत्ति दिनांकः—20—07—2016 के निराकरण के सम्बन्ध में कुछ अभिलेख नई प्रणाली से तैयार किये गये जिनमें कि काफी समय लगा है। साथ ही प्रश्नगत मोटर मार्ग 05 कि0मी0 लम्बाई का है जिसमें मार्ग निर्माण से उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु चयनित नाप भूमि में स्थानीय काश्तकारों का विवाद की स्थिति उत्पन्न होने एवं विवाद का निस्तारण करने में काफी लम्बा समय लगा है। विवाद के निस्तारण के पश्चात संशोधित अभिलेखों के सहित 10 बिन्दुओं (आपत्ति) का निराकरण पत्रांकः—590 / 10एम0जी0, दिनांकः—26—04—2018 से इस कार्यालय को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव में ऑनलाईन में त्रुटि होने के कारण पुनः आपत्ति में प्रस्तावक विभाग को भेजा गया। प्रस्तावक विभाग द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव पुनः इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया जिसे इस कार्यालय के पत्रांकः—3093 / 12—1, दिनांकः—28—12—2018 से मय संलग्नक वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती को प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव को वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त द्वारा अपने कार्यालय पत्रांकः—1066 / 12—1, दिनांकः—07—01—2019 से अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित किया गया है।

क्रमशः — — 2 — —

इसके पश्चात नोडल कार्यालय द्वारा दिनांकः–16–01–2019 को प्रस्ताव पर 06 आपत्तियां लगाई गई। इन 06 आपत्तियों का निराकरण प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने पत्रांकः–443 / 10एम0जी0, दिनांकः–25–04–2019 से इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया जिसे इस कार्यालय के पत्रांकः–3425 / 12–1, दिनांकः–04–06–2019 से वन संरक्षक, भागीरथी वृत, उत्तराखण्ड को प्रस्तुत किया गया है। परियोजना की आपत्तियों के निराकरण में हुए विलम्ब के कारण वन संरक्षण अधिनियम में मार्गदर्शी के पैरा 4.14 के तहत उक्त प्रस्ताव के बन्द होने के सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरोध किया गया है कि मोटर मार्ग के महत्व व जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को re-opening of case के अन्तर्गत पुनः खोलते (open) हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

प्रस्ताव को re-opening of case के अन्तर्गत पुनः खोलने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि परियोजना निर्माण हेतुं प्रस्तावित क्षेत्र / स्थल, उद्देश्य एवं अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं में कोई परिवर्तन नही किया गया है।

अतः प्रकरण पर निराकरण / आख्या सादर प्रेषित।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, घनसाली, मुख्यालय–घुमेटीधार
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,
TEMPORARY DIVISION, PUBLIC WORK DEPARTMENT,
GHANSALI, HEAD QUARTER-GHUMETIDHAR
UTTARAKHAND
P.O. Pilkhi, Pin Code-249181
Website- http://pwd.uk.gov.in
Phone and Fax No. 01379-258327
E-Mail :-eepwdghansali@rediffmail.com

पत्रांक :–1128 / 10 Mg दिनांक–22 / 08 / 2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

विषय :– जनपद–टिहरी गढवाल के विकास खण्ड–भिलंगना में कर्णगांव से राजराजेश्वरी मन्दिर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.2375 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (FP/UK/ROAD/14272/2015)।

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड़ के फाईल संख्या– 8बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 144 / 2016 / FC / 869, दिनांक– 24.07.2019 ।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र में EDS जिसमें दिनांक–20.07.2016 द्वारा प्रस्ताव पर 10 बिन्दुओं पर वांछित सूचनायें चाही गयी थी। जिनकी अनुपालन आख्या राज्य सरकार द्वारा 03 वर्ष बीत जाने के पश्चात दिनांक– 29.06.2019 द्वारा प्रस्तुत की गयी थी। उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत मोटर मार्ग मे 5 कि0मी0 लम्बाई के सापेक्ष 4538 मीटर लम्बाई (3.177 है0) में वनभूमि होने के कारण मलवा निस्तारण हेतु बनाये जाने वाले डम्पिंग जोन हेतु नाप भूमि उपलब्ध नहीं हो पायी थी, तत्पश्चात स्थानीय काश्तकारों से डम्पिंग जोन बनाने हेतु नाप भूमि की मॉग की गई किन्तु काश्तकारों द्वारा नाप भूमि विभाग को उपलब्ध कराने में काफी समय व्यतीत होने के पश्चात सहमति जताई गयी।

चूकिं प्रस्ताव वर्ष 2015 में ऑनलाईन किया गया था। जिसके पश्चात वन विभाग द्वारा कुछ नये प्रपत्र समय–समय पर जारी किये गये, जो कि इस खण्ड को अप्राप्त थे। उक्त प्रपत्रों को अन्य खण्डों से प्राप्त करने के पश्चात पुनः अतिरिक्त सूचनायें संकलित की गई। जिनकों हस्ताक्षर हेतु भी समय लगना स्वभाविक था। तत्पश्चात उक्त EDS के 10 बिन्दुओं पर विस्तृत सूचना तैयार कर ऑनलाईन करने के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्रांक संख्या–590 / 10एम0जी0, दिनांक–26.04.2018 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी कार्यालय को 05 मूल प्रतियों में प्रेषित की गई थी। तत्पश्चात प्रभागीय वनाधिकारी, नई टिहरी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक संख्या–3093 / 12–1 दिनांक–28.12.2018 द्वारा उक्त 10 बिन्दुओं की सूचना वनसंरक्षक भागिरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती को प्रस्तुत की गयी थी। कार्यालय वनसंरक्षक भागिरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती के कार्यालय पत्रांक संख्या–1066 / 12–1 मुनिकीनेती, दिनांक– 08.01.2019 द्वारा अपर प्रमुख वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन सरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी गई थी।

टिहरी वन प्रभाग
रजिस्टर न0 ....
फाइल न0 ....
दिनांक 5/1/9

क्रमशः– 2

उपरोक्त मोटर मार्ग में नोडल कार्यालय द्वारा पुनः दिनांक–16.01.2019 को 06 बिन्दुओं पर आपत्ति लगाई गई। जिनका निराकरण कर ऑनलाईन करने के फलस्वरूप प्रभागीय वनाधिकारी नई टिहरी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक संख्या–3425/12–1, दिनांक'– 04.06.2019 द्वारा सूचना वनसंरक्षक भागिरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती को प्रेषित कर दी गयी थी। कार्यक्षेत्र उद्देश्य एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के सन्दर्भ में मूल प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि पूर्व में ऑनलाईन किये गये प्रस्तावों में समस्त प्रपत्रों एवं स्थलीय संमरेखण में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि उक्त बन्द हुए प्रस्ताव को Re-opening of case के तहत खुलवाने हेतु अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

22/08/19

(इं0 नवीन लाल वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता,
अ0ख0, लो0नि0वि0, घनसाली,
मुख्यालय–घुमेटीधार

NOTE FOR JUSTIFICATION

राज्य योजना के अन्तर्गत कर्णगांव से राजराजेश्वरी मन्दिर मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं0–6667/।।।(2)13–32 (प्रा0आ0)/2013, दिनांक–22.07.2013 द्वारा रू0 49.95 लाख की प्राप्त हुई थी। समरेखण प्रस्ताव अनुमोदन के पश्चात दिनांक–15.11.2014 को मोटर मार्ग का संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें कि प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या–219 थी। तत्पश्चात मोटर मार्ग का वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर हस्ताक्षरोपरान्त ऑनलाइन कर दिया गया था। अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड, इन्दिरानगर , फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून के पत्रांक सं0–1003/14272/2015, दिनांक–14.10.2019 द्वारा प्रस्ताव को अपत्तियों में लौटाया गया, **कि यह भी सुनिश्चित करें कि कार्यक्षेत्र उद्देश्य एवं अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के सन्दर्भ में प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र/टिप्पणी उपलब्ध कराई जाए**। जिसके अनुपालन में कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग के पत्रांक सं0–851/12–1, दिनांक–25.10. 2019 पुनः कार्यस्थल के संयुक्त निरीक्षण हेतु तिथि निर्धारित की गयी थी। दिनांक–04.12.2019 को पुनः कार्यस्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें विभिन्न प्रजाति के 448 वृक्ष प्रभावित हो रहे है। जिसमें कि मुख्यतः 0–10 डायमीटर के चीड़ के वृक्षों की गणना में भिन्नता पाई गयी, भिन्नता का मुख्य कारण यह है कि दोनों निर्धारित संयुक्त निरीक्षण की तिथियों के मध्य 5 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है, जिस कारण चीड़ प्रजाति के वृक्ष प्राकृतिक रूप से चीड़ वन क्षेत्रों में उग आते है। इसके अतिरिक्त मार्ग के समरेखण, परियोजना में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जिसको स्पष्ट करने हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना सूची से सम्बन्धित आवश्यक प्रपत्र पुनः तैयार कर आपत्तियों के निराकरण हेतु प्रेषित किये गये है। इसके अतिरिक्त पूर्व में ऑनलाइन किये गये प्रस्ताव के अनुसार ही वर्णित गांव/तोक एवं मन्दिर लाभान्वित होंगें। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत मोटर मार्ग के समरेखण से सम्बन्धित ग्रामों के एफ0आर0ए0 पूर्व में ही वनभूमि प्रस्ताव में ऑनलाइन किये जा चुके थे। जिनको पुनः तैयार करने की आवश्यकता नहीं है।

उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के फलस्वरूप सिद्धपीठ राजराजेश्वरी के साथ–साथ ग्राम सभा मलकोट (ग्राम सभा कोड–042797) मोटर मार्ग से संयोजित हो जाएगा। मोटर मार्ग के कि0मी0–05 के अंतिम बिन्दु पर ग्राम सभा कांगड़ा का एक डोबला नामे तोक है, जिस स्थान पर कुछ परिवार निवास करते है,उक्त तोक भी इस मोटर मार्ग के कि0मी0–05 है0 मी0 (8–10) में संयोजित हो जायेगा। ग्राम सभा कांगड़ा पूर्व में ही मोटर मार्ग में संयोजित है, एवं इस मोटर मार्ग के नवनिर्माण के फलस्वरूप डोबला नामे तोक से कांगड़ा तक मिसिंग लिंक निर्माण हेतु लगभग 1 कि0मी0 अतिरिक्त मोटर मार्ग की आवश्यकता होगी। भविष्य में यदि उक्त 1 कि0मी0 मोटर मार्ग का निर्माण कार्य होता है, तो यह मोटर मार्ग यह एक रिंग रोड़ की तरह कार्य करेगा। (लाइन डायग्राम संलग्न), मोटर मार्ग का निर्माण क्षेत्रीय/स्थानीय जनता को राजराजेश्वरी मन्दिर तक जाने हेतु सुविधा एवं भविष्य में एक रिंग रोड़ निर्माण हेतु किया जा रहा है। मोटर मार्ग निर्माण के फलस्वरूप दूर–दूर के ग्रामवासी एक स्थान से दूसरे स्थान एवं सिद्वपीट राजराजेश्वरी मन्दिर तक आसानी से आवागमन कर सकेगें, एवं विभिन्न स्थानों के जनमानस भी मन्दिर के दर्शन का लाभ ले सकेगें। मोटर मार्ग के निर्माण के फलस्वरूप ग्राम सभा कांगडा के विधार्थियों को इण्टर कॉलेज कैपार्स तक आवागमन एवं स्थानीय वासियों को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं का लाभ लेने हेतु पैदल दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। इस स्थान पर अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के कारण आरक्षित वनभूमि में मोटर मार्ग का निर्माण प्रस्तावित किया गया है, साथ ही मोटर मार्ग के निर्माण के फलस्वरूप वन विभाग को भी आवागमन में सुविधा प्राप्त होगी।

प्रतिहस्ताक्षरित

अधिशासी अभियन्ता,
अ0ख0, लो0नि0वि0, घनसाली,
मुख्यालय–घुमेटीधार

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी

प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी

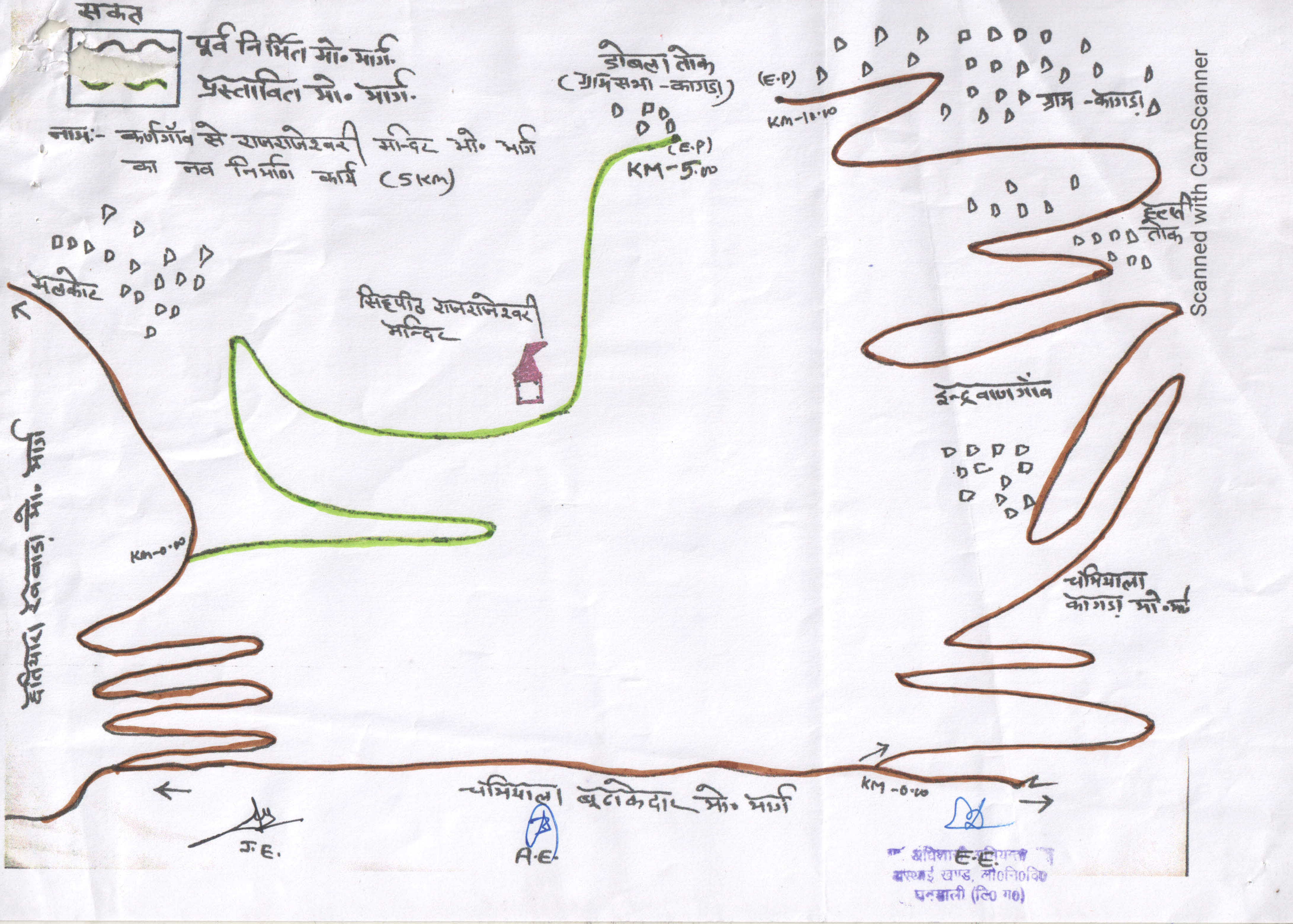

Scanned with CamScanner

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना में कर्णगांव से राजराजेश्वरी मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई–5.00 कि0मी0)

वृक्षारोपण स्थल :–केपार्स सिविल

वृक्षारोपण हेतु क्षेत्रफल = 5.00 है0

वृक्षारोपण दर प्रति है0 (1000 पौध)

क्र0सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	दर	प्रति	धनराशि (रू0)
1	2	3	4	5	6	7
1	सर्वे एवं सीमांकन	1	है0	181.00	है0	181.00
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	1	है0	5436.00	है0	5436.00
3	अग्रिम दीवालबन्दी (फन्सिंग) 95 घ0मी0 प्रति हे0	1	है0	90000.00	है0	90000.00
	तार की घेरबाड 1.80 मी0 से 2.44 मी0 लम्बे तथा 30.00 से 45.00 सेमी0 घेरे के खम्बों का कटान, छिलान व सिरे बनाना	100	सं0	22.45	सं0	2245.00
	खम्बो का ढुलान खच्चर/श्रमिक से					1811.00
	खम्बों को गाडने हेतु 20 से0मी0 व्यास व 45 से0मी0 गहरे कढ्ढे खोदना	100	सं0	9.17	सं0	917.00
	तार को खीचना	100	सं0	1.77	सं0	177.00
4	कन्टूर फरों का खुदान करना					
	3.00m X 30.00m X 20 cm	30	सं0	330.00	सं0	9900.00
5	गड्डा खुदान (0.30×0.30×0.45)	1000	गढ्ढे	8.68	गढ्ढा	8680.00
6	निरीक्षण बटिया बनाना	1	है0	1095.00	है0	1095.00
7	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष) 75 प्रतिशत	1000	पौध	10.77	पौध	10770.00
8	अन्य व्यय जैसे यन्त्र, सयन्त्र औजार तेज करना एवं अन्य कार्यो पर व्यय	50	सं0	100.00	सं0	5000.00
				योग :– प्रथम चरण		**136212.00**
		द्वितीय चरण :–				
1	गड्डा भरान (0.30×0.30×0.45)	1000	गढ्ढे	3.04	गढ्ढा	3040.00
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष) कुल व्यय का 25 प्रतिशत	1000	पौध	4.23	पौध	4230.00
3	पौध ढुलान कार्य	1000	पौध	5.10	पौध	5100.00
4	पौधरोपण व थावलाबन्दी	1000	पौध	3.84	पौध	3840.00
5	निराई–गुडाई व मल्चिंग (दो बार)	1000	गढ्ढे	3.52	गढ्ढा	3520.00
6	खाद व दवा पर व्यय	1000	गढ्ढे	0.50	गढ्ढा	500.00
7	रोपण वर्ष में वृक्षारोपण की देख–रेख व रखरखाव पर व्यय	1	सं0	8584.00	सं0	8584.00
8	8.1. वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास–फूस एवं ज्वलनशील	1	सं0	284.90	सं0	284.90
	8.2. सुरक्षा दीवाल/घेरवाड़ के बाहर 4.50 मी0 की पट्टी साफ करना	1	सं0	284.90	सं0	284.90
	8.3. वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सरुक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन					
	अ– प्रशिक्षण	1	सं0	4000.00	सं0	4000.00
	ब– प्रोत्साहन	1	सं0	2000.00	सं0	2000.00
9	चैक डेम निर्माण कार्य	2	सं0	10000.00	सं0	20000.00
10	अन्य व्यय साईन बोर्ड, पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पॉलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो, तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार–प्रसार एवं डेक्यूमेंटेशन आदि कार्य	1.00	है0	1700.00	सं0	1700.00
				योग :– द्वितीय चरण		**57083.80**

	तृतीय चरण :–					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	13000.00	सं0	13000.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	5000.00	सं0	5000.00
				योग :– तृतीय चरण		**18000.00**
	चतुर्थ चरण :–					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	13000.00	है0	13000.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	5000.00	है0	5000.00
				योग :– चतुर्थ चरण		**18000.00**
	पंचम चरण :–					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	13000.00	है0	13000.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	5000.00	है0	5000.00
				योग :– पंचम चरण		**18000.00**
	षष्ठम चरण :–					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	13000.00	है0	13000.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	5000.00	है0	5000.00
				योग :– षष्ठम चरण		**18000.00**
	सप्तम चरण :–					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्टम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	13000.00	है0	13000.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	5000.00	है0	5000.00
				योग :– सप्तम चरण		**18000.00**
	अष्ठम चरण :–					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सत्तम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	13000.00	है0	13000.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	5000.00	है0	5000.00
				योग :– अष्ठम चरण		**18000.00**
	नवम चरण :–					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्ठम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	13000.00	है0	13000.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	5000.00	है0	5000.00
				योग :– नवम चरण		**18000.00**
	दशम चरण :–					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त नवम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	13000.00	है0	13000.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	5000.00	है0	5000.00
				योग :– दशम चरण		**18000.00**
			कुल योग (प्रथम चरण से दशम चरण):–			**337295.80**
				या योग रू0 :–		**337184.00**

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दर प्रति हे0 (वर्ष 2020–21) = **337184.00**

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अपेक्षित भूमि = 5.00 हे0

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अपेक्षित धनराशि = 5.00 हे0 ₹3,37,184.00

योग रू0 :– = 1685920.00

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

परियोजना का नाम : – राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना में कर्णगांव से राजराजेश्वरी मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई–5.00 कि0मी0)

वृक्षारोपण स्थल :–केपार्स सिविल

वृक्षारोपण हेतु क्षेत्रफल = 1.475 है0

वृक्षारोपण दर प्रति है0 (1600 पौध)

क्र0सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	दर	प्रति	धनराशि (रू0)
1	2	3	4	5	6	7
1	सर्वे एवं सीमांकन	1	है0	181.00	है0	181.00
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	1	है0	5436.00	है0	5436.00
3	अग्रिम दीवालबन्दी (फन्सिंग) 95 घ0मी0 प्रति हे0	1	है0	90000.00	है0	90000.00
	तार की घेरबाड 1.80 मी0 से 2.44 मी0 लम्बे तथा 30.00 से 45.00 सेमी0 घेरे के खम्बों का कटान, छिलान व सिरे बनाना	100	सं0	22.45	सं0	2245.00
	खम्बो का ढुलान खच्चर/श्रमिक से					1811.00
	खम्बों को गाडने हेतु 20 से0मी0 व्यास व 45 से0मी0 गहरे कढ्ढे खोदना	100	सं0	9.17	सं0	917.00
	तार को खीचना	100	सं0	1.77	सं0	177.00
4	कन्टूर फरों का खुदान करना					
	3.00m X 30.00m X 20 cm	20	सं0	330.00	सं0	6600.00
5	गड्डा खुदान (0.30×0.30×0.45)	1600	गढ्ढे	8.68	गढ्ढा	13888.00
6	निरीक्षण बटिया बनाना	1	है0	1095.00	है0	1095.00
7	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष) 75 प्रतिशत	1600	पौध	10.77	पौध	17232.00
8	अन्य व्यय जैसे यन्त्र, सयन्त्र औजार तेज करना एवं अन्य कार्यो पर व्यय	50	सं0	90.00	सं0	4500.00
				योग :– प्रथम चरण		**144082.00**
		द्वितीय चरण :–				
1	गड्डा भरान (0.30×0.30×0.45)	1600	गढ्ढे	3.04	गढ्ढा	4864.00
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष) कुल व्यय का 25 प्रतिशत	1600	पौध	4.23	पौध	6768.00
3	पौध ढुलान कार्य	1600	पौध	5.10	पौध	8160.00
4	पौधरोपण व थावलाबन्दी	1600	पौध	3.84	पौध	6144.00
5	निराई–गुडाई व मल्चिंग (दो बार)	1600	गढ्ढे	3.52	गढ्ढा	5632.00
6	खाद व दवा पर व्यय	1600	गढ्ढे	0.50	गढ्ढा	800.00
7	रोपण वर्ष में वृक्षारोपण की देख–रेख व रखरखाव पर व्यय	1	सं0	8584.00	सं0	8584.00
8	8.1. वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास–फूस एवं ज्वलनशील	1	सं0	284.90	सं0	284.90
	8.2. सुरक्षा दीवाल/घेरवाड़ के बाहर 4.50 मी0 की पट्टी साफ करना	1	सं0	284.90	सं0	284.90
	8.3. वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सरुक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन					
	अ– प्रशिक्षण	1	सं0	4000.00	सं0	4000.00
	ब– प्रोत्साहन	1	सं0	2000.00	सं0	2000.00
9	अन्य व्यय साईन बोर्ड, पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पॉलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो, तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यो को प्रचार–प्रसार एवं डेक्यूमेंटेशन आदि कार्य	1.00	है0	1700.00	सं0	1700.00
				योग :– द्वितीय चरण		**49221.80**
		तृतीय चरण :–				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	13000.00	सं0	13000.00

2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	5000.00	सं0	5000.00
				योग :– तृतीय चरण		**18000.00**
			चतुर्थ चरण :–			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	13000.00	है0	13000.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	5000.00	है0	5000.00
				योग :– चतुर्थ चरण		**18000.00**
			पंचम चरण :–			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	13000.00	है0	13000.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	5000.00	है0	5000.00
				योग :– पंचम चरण		**18000.00**
			षष्ठम चरण :–			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	13000.00	है0	13000.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	5000.00	है0	5000.00
				योग :– षष्ठम चरण		**18000.00**
			सप्तम चरण :–			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्टम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	13000.00	है0	13000.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	5000.00	है0	5000.00
				योग :– सप्तम चरण		**18000.00**
			अष्ठम चरण :–			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सत्तम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	13000.00	है0	13000.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	5000.00	है0	5000.00
				योग :– अष्ठम चरण		**18000.00**
			नवम चरण :–			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्ठम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	13000.00	है0	13000.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	5000.00	है0	5000.00
				योग :– नवम चरण		**18000.00**
			दशम चरण :–			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त नवम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	13000.00	है0	13000.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	5000.00	है0	5000.00
				योग :– दशम चरण		**18000.00**
			कुल योग (प्रथम चरण से दशम चरण):–			**337303.80**
				या योग रू0 :–		**337184.00**

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दर प्रति है0 (वर्ष 2020–21) = **337184.00**

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अपेक्षित भूमि = 1.475 है0

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अपेक्षित धनराशि = 1.475 है0 X3,37,184.00

योग 1.475 है0 योजना रू0 :– = 497346.4 or Say 497346.00

योग 5.00 है0 योजना रू0:– 1685920.00

कुल योग वृक्षारोपण योजना रू0 :– 2183266.00

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी

प्रारुप–2.10

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना में कर्णगांव से राजराजेश्वरी मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई–5.00 कि0मी0)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र

जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड भिलंगना में लो0 नि0 वि0 घनसाली में प्रस्तावित **कर्णगांव से राजराजेश्वरी मन्दिर** मार्ग (लम्बाई–5.00 कि0मी0) के नव निर्माणहेतु अर्जित आरक्षित वनभूमि तथा सिविल सोयम भूमि जिसका क्षेत्रफल 3.2375 है0 है! के हस्तान्तरण मामले में दोगुना क्षेत्रफल **6.475 है0** अनवरत सिविल सोयम भूमि ग्राम–**केपार्स** में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

प्रतिहस्ताक्षरित

राजस्व उपनिरीक्षक
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र-कफोलगांव
तहसील घनसाली, टि0ग0

प्रभारी अधिकारी
कृते जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

तहसीलदार
तहसीलदार
बालगंगा
टिहरी गढ़वाल

प्रतिहस्ताक्षरित

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
बाल गंगा रा0जि
चम्भियाला

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी